

थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 353/2026, धारा 318(4)/317(4)/3(5) बीएनएस से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

अवगत कराना है कि वादी सुधर सिंह पुत्र मनीराम, निवासी सिकन्दरपुरा, चरखारी रोड, थाना राठ, जनपद हमीरपुर, कबाड़ खरीदने का कार्य कर जीविकोपार्जन करते हैं। वादी के अनुसार, दिनांक 13.10.2026 को बीएसएनएल टावर, राठ के पास एक व्यक्ति मिला, जिसने अपना नाम राजू बताते हुए टावर में काफी कबाड़ होने की बात कही तथा उसे खरीदने का प्रस्ताव दिया। बातचीत तय होने पर दिनांक 14.10.2026 को कबाड़ की सुपुर्दगी देने की बात हुई। उक्त व्यक्ति ने अपने दो अन्य साथियों से वादी का परिचय कराते हुए कबाड़ खरीदने के एवज में ₹30,000/- नकद प्राप्त कर लिए



तथा कंप्यूटर से पक्का बिल निकलवाने के बहाने तीनों व्यक्ति वहां से गायब हो गए। प्रकरण के संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली राठ पर मु0अ0सं0 353/2026, धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही—

आज दिनांक 21.10.2026 को थाना कोतवाली राठ पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर एक नामजद व दो अन्य अज्ञात अभियुक्तों की पहचान करते हुए प्रकरण में वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी के क्रम में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों (1) असरफ पुत्र सैयद, उम्र करीब 61 वर्ष, (2) रमेश कुमार पुत्र नाबालक, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासीगण ग्राम कोर्राही, तहसील बबेरू, थाना बिसंडा, जनपद बांदा तथा (3) मंगल पुत्र शिवशंकर, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम कायल, तहसील बबेरू, जनपद बांदा को जलालपुर रोड पर नहर के पास, थाना राठ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तों से बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(4)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामदगी का विवरण-

1. असरफ पुत्र सैयद के पास से 17,500/- रुपये बरामद
2. रमेश कुमार पुत्र नाबालक के पास से 5,400/- रुपये बरामद
3. मंगल पुत्र शिवशंकर के पास से 10,350/- रुपये बरामद

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. असरफ पुत्र सैयद, उम्र करीब 61 वर्ष, निवासी ग्राम कोर्राही, तहसील बबेरू, थाना बिसंडा, जनपद बांदा।
2. रमेश कुमार पुत्र नाबालक, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम कोर्राही, तहसील बबेरू, थाना बिसंडा, जनपद बांदा।
3. मंगल पुत्र शिवशंकर, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम कायल, तहसील बबेरू, थाना बबेरू, जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 मोहित देव, थाना कोतवाली राठ।
2. का0 गौरव जादौन, थाना कोतवाली राठ।
3. का0 शिवम यादव, थाना कोतवाली राठ।
4. का0 अमन पाल, थाना कोतवाली राठ।